



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

गोपाल साहू वगैरे वनाम मल्लु साहू वगैरे

133

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
04-08-18	<p>अगिलेख सं०-एम...102.../2018 धारा-107 द०१०सं० थाना प्रगारी साहिबापुर के अप्राथमिकी सं०-25/18 दिनांक-..... प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सास्ता के लैका उमय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति मंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उमय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति मंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०१०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रूप का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>24-08-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p>	
24-08-18	<p align="center">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </p> <p align="center">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </p> <p align="center"> <u>पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य</u>  <u>में अख्त 1 दिनांक 07-09-18 को</u>  <u>शुद्ध।</u> </p>	

15/3/19

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर नई नंबरवाई एवं दिनांक तारीख सहित

द्वितीय पत्र के अनुपलब्ध रहने के कारण  
द्वितीय पत्र गवाही नहीं ले पाया। दिनांक  
15-03-19 को रखे।

  
15/03/19

15-03-19

आगिलेरा उपस्थापित। प्रथम पत्र  
क्रमांक 01 उपलब्ध अन्य अनुपलब्ध  
द्वितीय पत्र क्रमांक 02, 03, 04 उपलब्ध  
अन्य आधिकारिक दायरी। उक्त वाद  
में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो  
चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।  
आतः वाद के आगिलेरा की कार्रवाई  
बन्द की जाती है।

  
15/03/19